फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आधार पर निस्तारण कर डिग्री/ आज्ञा पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 27/11/84 को पेश हो।
	27/11/84	व. वादी उप. बहस सुनी गई ~~पत्रावली~~ वास्ते आदेश हेतु दिनांक 29/11/84 को पेश हो mnj
	29/11/84	व. वादी उपस्थ अधिवक्ता वादी का बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो डिक्री प्रपत्र के लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर उपनिबन्धक के पास हो तथा दाखिल दफ्तर हो। mnj

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

...यालय सहायक कलक्टर (फास्...

पीठासीन अधिकारी :-...

...मा नं0:-33/2014

...लू पुत्र गोदू (मृतक दौरा...

1/1. शान्ति देवी पत्नि...

1/2. राजेन्द्र प्रसाद...

1/3. मोहनलाल...

1/4. सोहनलाल...

1/5. दिनेश...

1/6. सूरज...

समस्त जाति...

1/7. ...

तह0 ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:48:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नं0–33/2014
उनवान– मालू बनाम गणपत
निर्णय दिनांक– 29.11.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला – जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2014

उनवान

मालू पुत्र गोदू (मृतक वौराने दावा)
1/1. शान्ति देवी पत्नि स्व0 मालू
1/2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 मालू
1/3. मोहनलाल पुत्र स्व0 मालू
1/4. सोहनलाल पुत्र स्व0 मालू
1/5. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 मालू
1/6. सूरजमल पुत्र स्व0 मालू
समस्त जाति रैगर निवासी ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
1/7. भगवानी देवी पुत्री स्व0 मालू पत्नि हरिनारायण जाति रैगर, निवासी ग्राम चौप, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. गणपत पुत्र स्व0 भागीरथ
2. कानाराम पुत्र स्व0 भूराराम
3. गोपाल पुत्र स्व0 भूराराम
4. रामू पुत्र स्व0 भूराराम
समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. कमला पुत्री स्व0 भूराराम पत्नि गुल्लाराम
6. चम्पा पुत्री स्व0 भूराराम पत्नि गोपाल
7. भागौती पुत्री स्व0 भूराराम पत्नि सागर
समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम छोटी डूंगरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–29.11.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1797 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1798 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1807/3605 रकबा [illegible] है0, खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 187[illegible] रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.[illegible] है0, खसरा नम्बर 1889/3606 रकबा 0.09 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 2.72 है0 है जिसके साबिक खसर नम्बर 500 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा इस वाद में वादग्रस्त है। साबिक खसरा नम्बर 500 का मिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:48:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रफल 3 बीघा किस्म बारानी 2 को वादी ने दिनांक 16.11.1971 को इसके तत्कालीन खातेदार भागीरथ पुत्र नाथू जाति खटीक निवासी ईटावा भोपजी से मूल्यवान प्रतिफल के बदले जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद की थी। व खरीद के दिन से ही साबिक खसरा नम्बर 500 के मिन क्षेत्रफल 3 बीघा पर कब्जा प्राप्त कर उसके उपयोग उपभोग वादी करता आ रहा है व सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नम्बर 500 के बने नये खसरा नम्बर पर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की नकल दे दी गई थी जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण वादी के नाम करने का आश्वासन दिया था। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का भोला भाला होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण अपने नाम होना मान कब्जे काश्त करता आ रहा है। लगान सरकार को जमा करवाता आ रहा है। दिनांक 04.02.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर आया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात बेचने की धमकी दी जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकर प्राप्त की। तो वादी को पता चला की वादग्रस्त आराजीयात में वादी का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं खुला हुआ है। व भागीरथ की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता स्व0 भूरा व भागीरथ की बेवा सुन्दरी ने अपने नाम नामान्तकरण तसदीक करवा लिया। सुन्दरी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान 1 ता 7 है। वादी ने विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 12.02.2008 को पटवारी हल्का को वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण तसदीक करवाने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने वादग्रस्त आराजीयात के तत्कालीन खातेदार भागीरथ का स्वर्गवास हो जाने व वादग्रस्त आराजीयात का फौती नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता स्व0 भूरा व भागीरथ की बेवा सुन्दरी के खुल जाने के कारण वादी के नाम नामान्तकरण खोलने से इन्कार कर दिया। अतः यह वाद पेश करना लाजमी आया।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद बाबत् घोषणा दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात का विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1971 के आधार पर वादी के नाम 3 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता स्व0 भूरा व भागीरथ की बेवा सुन्दरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाये जाते हुए कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय नहीं करें, ना ही वादी को बेदखल करें, ना ही वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करें ना ही प्रतिवादीगण संख्या 8 वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय पत्र तस्दीक करें ना ही प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025-06-05 14:48:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ख्या 9 इस प्रकार के किसी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तरमीक करें ना ही त कृत्य स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श संख्या 1 से प्रदर्श संख्या 4 तथा साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ–पत्र PW1 मालू पुत्र गोदू, PW2 नन्छूराम उर्फ नाथूराम पुत्र गोदू, PW3 नानगराम पुत्र नरसीराम के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में विवादित भूमि में वादी के द्वारा जरिये विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि है जिससे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी आराजी खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 1797 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1798 रकबा 0.61 है0, खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1807/3605 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1889/3606 रकबा 0.09 है0 कुल किता 11 का कुल रकबा 2.72 है0 है जिसके साबिक खसर नम्बर 500 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता स्व0 भूरा व भागीरथ की बेवा सुन्दरी का नाम दर्ज हिस्से में से, विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1971 के अनुसार मृतक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही क्रेता वादी फौत होने से वादी के विधिक वारिसान वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर दुरुस्ती की जावें। विवादित भूमि में शेष हिस्सा बेदस्तुर रखा जावें। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को [illegible] खुल न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:48:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–33/2014

उनवान

मालू पुत्र गोदू (मृतक दौराने दावा)
1/1. शान्ति देवी पत्नि स्व0 मालू
1/2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 मालू
1/3. मोहनलाल पुत्र स्व0 मालू
1/4. सोहनलाल पुत्र स्व0 मालू
1/5. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 मालू
1/6. सूरजमल पुत्र स्व0 मालू
समस्त जाति रैगर निवासी ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
1/7. भगवानी देवी पुत्री स्व0 मालू पत्नि हरिनारायण जाति रैगर, निवासी ग्राम चौप, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. गणपत पुत्र स्व0 भागीरथ
2. कानाराम पुत्र स्व0 भूराराम
3. गोपाल पुत्र स्व0 भूराराम
4. रामू पुत्र स्व0 भूराराम
   समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. कमला पुत्री स्व0 भूराराम पत्नि गुल्लाराम
6. चम्पा पुत्री स्व0 भूराराम पत्नि गोपाल
7. भागौती पुत्री स्व0 भूराराम पत्नि सागर
   समस्त जाति खटीक निवासी ग्राम छोटी डूंगरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–33/2014

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी आराजी खसरा नम्बर [illegible] 0.12 है0, खसरा नम्बर 1797 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1798 रकबा 0.81 है0, खसरा नम्बर 1799 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1807/3605 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1876 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 1878 रकबा [illegible]21 है0, खसरा नम्बर 1879 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1882 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1889/3606 रकबा 0.09 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:48:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कुल किता 11 का कुल रकबा 2.72 है0 है जिसके साबिक खसरा नम्बर 500 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता स्व0 भूरा व भागीरथ की बेवा सुन्दरी का नाम दर्ज हिस्से में से, विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1971 के अनुसार मृतक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही क्रेता वादी फौत होने से वादी के विधिक वारिसान वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर दुरुस्ती की जावें। विवादित भूमि में शेष हिस्सा बेदस्तुर रखा जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.........

ओहदा.........

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:48:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner